रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24112023-250249 CG-DL-E-24112023-250249

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773]	नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 21, 2023/कार्तिक 30, 1945
No. 773]	NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21, 2023/KARTIKA 30, 1945

पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अक्तूबर, 2023

फा. सं. एनईआईजीआर-ई.III/5/2022.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग में निम्न ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी' पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

नर्सिंग अनुभाग	नर्सिंग अनुभाग					
क्रम सं	पद का नाम					
1	मुख्य नर्सिंग अधिकारी					
2	नर्सिंग अधीक्षक					
3	उप नर्सिंग अधीक्षक					
4	वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी					
5	नर्सिंग अधिकारी					
केंद्रीय पुस्तकाल	केंद्रीय पुस्तकालय अनुभाग					
1	पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (तत्कालीन पुस्तकालयाध्यक्ष)					
2	सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (तत्कालीन सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष)					
3	पुस्तकालय एवं सूचना सहायक (तत्कालीन वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक)					

7276 GI/2023 (1)

भंडार एवं खरीद	अनुभाग				
1	भंडार अधिकारी (तत्कालीन भंडार एवं खरीद अधिकारी)				
2	सहायक भंडार अधिकारी				
3	स्टोर कीपर				
सांख्यिकीय अनुभ	गाग				
1	सांख्यिकीविद् सह व्याख्याता				
2	वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी				
3	सांख्यिकी अधिकारी				
4	सांख्यिकी सहायक				
आहार इकाई					
1	मुख्य आहार विशेषज्ञ (तत्कालीन मुख्य आहार विशेषज्ञ एवं पोषण अधिकारी)				
2	वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ (तत्कालीन उप मुख्य आहार विशेषज्ञ)				
3	आहार विशेषज्ञ				
4	सहायक आहार विशेषज्ञ				
हाउसकीपिंग अन्	हाउसकीपिंग अनुभाग				
	वार्डन/महिला वार्डन				

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग ग्रुप 'ए' वी 'बी' पद भर्ती संशोधन नियम, 2023 है।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण व वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों की उपबंध अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएँ आदि** भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएँ और संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो कि उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहाँ केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति या पद की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जंजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
			में स्तर		
1	2	3	4	5	6
मुख्य नर्सिंग	01* (2023)	ग्रूप 'ए'	वेतन	चयनित	लागू नहीं
अधिकारी	*कार्यभार पर		मैट्रिक्स		• • •
	निर्भर भिन्नता		का स्तर		
	के अधीन		12		

शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं भर्ती के लिए अवधि, यदि पदोन्नति द्वारा या आमेलन द्वारा निर्धारित आयु कोई हो प्रतिनियुक्ति/आमेलन में, वे ग्रे और शैक्षणिक द्वारा भर्ती की पद्धति पदोन्नति/प्र	तिनियुक्ति/ भर्ती के मामले ड जिनसे तिनियुक्ति/
निर्धारित आयु कोई हो प्रतिनियुक्ति/आमेलन में, वे ग्रे और शैक्षणिक द्वारा भर्ती की पद्धति पदोन्नति/प्र योग्यता और विभिन्न तरीकों आमेलन वि पदोन्नति के से भरी जाने वाली	ड जिनसे तिनियुक्ति/
और शैक्षणिक द्वारा भर्ती की पद्धति पदोन्नति/प्र योग्यता और विभिन्न तरीकों आमेलन कि पदोन्नति के से भरी जाने वाली	तिनियुक्ति/
योग्यता और विभिन्न तरीकों आमेलन वि पदोन्नति के से भरी जाने वाली	-
पदोन्नति के से भरी जाने वाली	
	ज्या जाना है
मामले में लागू रिक्तियों का प्रतिशत	
होगी	
7 8 9 10 1	1
लागू नहीं लागू नहीं पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति : संस्थ	प्रान के नर्सिंग
	ोतन मैट्रिक्स के
पर प्रतिनियुक्ति लेवल - 11 के	ग्रेड में 5 (पाँच)
	मेत सेवा दे चुके
अनुबंध है।	9
	केंद्र सरकार /
	/ केंद्र शासित
	यत्त संगठन /
	य / सार्वजनिक
	/ विश्वविद्यालय
	गप्त अनुसंधान
संस्थान के अधि	•
事)	7/1 <1.
1. मूल सं	वर्ग/विभाग में
	ार पर अनुरूप
पद धारण करन	-
	वेभाग में वेतन
	ल 11 या उसके
	मित आधार पर
	र प्रदान की गई
	की सेवा के साथ
ख)	
	क्षणिक योग्यता
रखते हों:	
1. भारतीय न	र्सिंग परिषद से
मान्यता प्र	ाप्त संस्थान/
विश्वविद्यालय	से बी.एससी.
नर्सिंग।	•

	•	
		2. भारतीय नर्सिंग परिषद/
		राज्य नर्सिंग परिषद के साथ
		पंजीकृत हो।
		3. काम का कम से कम 15 वर्ष
		का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष
		नर्सिंग अधीक्षक के रूप में या
		नर्सिंग प्रशासन में समान क्षमता
		रखने वाले किसी पद में हो।
		नर्सिंग में एम.एससी. डिग्री
		वाले उम्मीदवारों को
		प्राथमिकता दी जाएगी।
		टिप्पणी: प्रतिनियुक्ति की
		अवधि (आईएसटीसी)
		सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक
		नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति
		(आईएसटीसी) पर नियुक्ति
		के लिए अधिकतम आयु
		सीमा आवेदन प्राप्त होने की
		अंतिम तिथि को 56 वर्ष से
		अधिक नहीं होनी चाहिए।
		जावक महा हाना चाहिए।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो	भर्ती	करने वे	त्वौरान -	किन	
क्या है?	परिस्थि	तियों में संध	त्र लोक सेवा	आयोग	
		से पराम	ार्श किया ज	ाना है	
12			1	3	
1. निदेशक, नीग्रिम्स	- अध्यक्ष		लागृ	्नहीं	
2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/					
उप सचिव	- सदस्य				
3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	- सदस्य				
(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)					
4. संबंधित विषय का विशेषज्ञ	- सदस्य*				
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य -	सदस्य				
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स	-सदस्य सचिव				
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)					

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु
			स्तर	चयनित पद	सीमा
1	2	3	4	5	6
नर्सिंग	03* (2023)	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स	चयनित	लागू नहीं
अधीक्षक	*कार्यभार पर		11 का स्तर		
	निर्भर भिन्नता के				
	अधीन				

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति: संस्थान के उप नर्सिंग अधीक्षक जो वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 10 के ग्रेड में 5 (पाँच) वर्षों की नियमित सेवा दे चुके है।

यदि	कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो	भर्ती करने के दौरान किन	
क्या	है?	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग	
			से परामर्श किया जाना है
	12		13
1.	निदेशक, नीग्रिम्स	– अध्यक्ष	लागू नहीं
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/ उप सचिव	– सदस्य	
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य (अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)		
4.	संबंधित विषय के विशेषज्ञ	- सदस्य*	
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य	– सदस्य	
6.	उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स	-सदस्य सचिव	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)		

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु
			मैट्रिक्स में	चयनित पद	सीमा
			स्तर		
1	2	3	4	5	6
उप नर्सिंग	19* (2023)	ग्रुप 'ए'	वेतन	चयनित	लागू नहीं
अधीक्षक	*कार्यभार पर		मैट्रिक्स 10		
	निर्भर भिन्नता		का स्तर		
	के अधीन				

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
	मामले में लागू होगी		तरीकों से भरी जाने वाली	आमेलन किया जाना है
			रिक्तियों का प्रतिशत	
7	8	9	10	11
1. लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नत	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	पदोन्नतिः वरिष्ठ नर्सिंग
		व्यक्तियों		अधिकारी जो वेतन मैट्रिक्स
		के लिए 2		के लेवल - 8 में 4 (चार) वर्षों
		वर्ष		की नियमित सेवा दे चुके है।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
सदस्य	
3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए
			स्तर	चयनित पद	आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ नर्सिंग	175* (2023)	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स 8	चयनित	लागू नहीं
अधिकारी	*कार्यभार पर निर्भर		का स्तर		-, -
	भिन्नता के अधीन				

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
, लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, जिसके विफल होने पर प्रतिनियुक्ति	पदोन्नति: संस्थान के नर्सिंग अधिकारी

	द्वारा (अल्पकालिक	चुके है।
	-	
	अनुबंध (१५६)	प्रतिनियुक्तिः केंद्र सरकार/राज्य
	(आईएसटीसी)	सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/स्वायत्त
	सहित)	संगठन/वैधानिक निकाय/सार्वजनिक
		क्षेत्र के उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता
		प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:
		क)
		1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित
		आधार पर अनुरूप पद धारण करना;
		अथवा
		2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स
		के लेवल 07 या उसके समकक्ष में
		नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद
		प्रदान की गई ग्रेड में 05 वर्ष की सेवा
		के साथ -
		ख)
		५/ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते
		हों:
		हाः 1. भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता
		प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से
		बी.एससी. नर्सिंग।
		अथवा
		भारतीय नर्सिंग काउंसिल से मान्यता
		प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से
		बीएससी (पोस्ट-सर्टिफिकेट) या उसके
		समकक्ष जैसे बी.एससी नर्सिंग (पोस्ट
		बेसिक) की डिग्री।
		2. भारतीय नर्सिंग परिषद / राज्य
		नर्सिंग परिषद के साथ नर्स और
		मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत हो।
		टिप्पणी:
		प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि
		सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं
		होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर
		नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा
		आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को
		56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यवि	हे कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	
क्य	ा है?	में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
		किया जाना है
	12	13
1.	निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
	सदस्य	
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	

- 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ सदस्य*
- 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य सदस्य
- 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु
			मैद्रिक्स में	चयनित पद	सीमा
			स्तर		
1	2	3	4	5	6
नर्सिंग	740*	ग्रुप 'बी'	वेतन	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं
अधिकारी	(2023)		मैट्रिक्स 7		होनी चाहिए। (केंद्र सरकार
	*कार्यभार पर		का स्तर		द्वारा जारी निर्देशों या
	निर्भर भिन्नता				आदेशों के अनुसार सरकारी
	के अधीन				कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष
					तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक	क्या सीधी	परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	भर्ती के लिए	अवधि, यदि	पदोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के
राकारमञ्जार जन्म मान्यसार्	निर्धारित निर्धारित	कोई हो	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	मामले में, वे ग्रेड जिनसे
	आयु और	नगर हा	द्वारा भर्ती की पद्धति	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
	आयु आर शैक्षणिक		और विभिन्न तरीकों	अमेलन किया जाना है
	राजाणक योग्यता		से भरी जाने वाली	जामलन ।कया जाना ह
	याग्यता पदोन्नति के		रिक्तियों का प्रतिशत	
	पदान्नात क मामले में		ाराक्तया का त्रावसव	
-	लागू होगी	0	40	44
7	8	9	01	11
आवश्यक:	लागू नहीं	सीधी भर्ती के	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं
1. भारतीय नर्सिंग		लिए 2 वर्ष		
काउंसिल/राज्य नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त				
काउंसिल से मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से				
बी.एससी. (ऑनर्स)				
नर्सिंग/बी.एससी नर्सिंग।				
अथवा				
भारतीय नर्सिंग परिषद / राज्य				
नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त				
संस्थान / विश्वविद्यालय से				
बी.एससी (पोस्ट-सर्टिफिकेट)				
या उसका समकक्ष डिग्री जैसे				
बी.एससी. नर्सिंग (पोस्ट				
बेसिक)।				
अथवा				
शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के				
बाद न्यूनतम 50 बेड वाले				
अस्पताल में 2 साल के अनुभव				
के साथ भारतीय नर्सिंग				
काउंसिल / राज्य नर्सिंग				
काउंसिल से मान्यता प्राप्त				

संस्थान / बोर्ड या काउंसिल से		
जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में		
डिप्लोमा।		
2॰ भारतीय नर्सिंग परिषद /		
राज्य नर्सिंग परिषद के साथ		
नर्स और मिडवाइफ के रूप में		
पंजीकृत होना आवश्यक है।		

	कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी चना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
	12	13
1.	निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव	
	– सदस्य	
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4.	संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6.	उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन	चयनित या	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
			मैद्रिक्स में	गैर चयनित	
			स्तर	पद	
1	2	3	4	5	6
पुस्तकालय एवं	02* (2023)	ग्रुप 'ए'	वेतन	पदोन्नति के	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं
सूचना अधिकारी	*कार्यभार पर निर्भर		मैट्रिक्स	मामले में	होनी चाहिए। (केंद्र सरकार
	भिन्नता के अधीन		10 का	चयनित। सीधे	द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों
			स्तर	भर्ती के मामले	के अनुसार सरकारी
				में लागू नहीं।	कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक
				.,	की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक	क्या सीधी	परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	भर्ती के लिए	अवधि,	पदोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में,
	निर्धारित	यदि कोई	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	वे ग्रेड जिनसे
	आयु और	हो	द्वारा भर्ती की पद्धति	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
	शैक्षणिक		और विभिन्न तरीकों	आमेलन किया जाना है
	योग्यता		से भरी जाने वाली	
	पदोन्नति के		रिक्तियों का प्रतिशत	
	मामले में			
	लागू होगी			
7	8	9	10	11
आवश्यक:	नहीं	सीधी	पदोन्नति न हो पाने	पदोन्नति: सहायक पुस्तकालय
i) किसी मान्यता प्राप्त		भर्ती और	पर प्रतिनियुक्ति	एवं सूचना अधिकारी जिन्होने
विश्वविद्यालय/संस्थान से		पदोन्नत	(आईएसटीसी) द्वारा	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7 में 05

पुस्तकालय विज्ञान या		और उसके भी न हो	वर्षों की नियमित सेवा प्रदान
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान		पाने की स्थिति में	की हो।
में मास्टर डिग्री:	लिए दो	सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति:
ii) केंद्र/ राज्य सरकार/ स्वायत्त	वर्ष		केंद्र सरकार / राज्य सरकार /
या वैधानिक संगठन /पीएसयू			केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त
/विश्वविद्यालय या मान्यता			संगठन / वैधानिक निकाय /
प्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक			सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /
संस्थान के तहत पुस्तकालय में			विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त
पाँच साल का कार्य अनुभव।			अनुसंधान संस्थान के अधिकारी
वांछनीय:			जिन्होने:
i) केंद्र/राज्य सरकार/			ए)
स्वायत्त यावैधानिक संगठन			″ 1॰ मूल संवर्ग/विभाग में
/पीएसयू/विश्वविद्यालय या			नियमित आधार पर अनुरूप पद
मान्यता प्राप्त अनुसंधान या			धारण किया हो ;
शैक्षणिक संस्थान के तहत			अथवा
पुस्तकालय में पुस्तकालय			2. नियुक्ति के बाद प्रदान की
गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत			गई ग्रेड लेवल 7/8 या मूल
करने का एक वर्ष का अनुभव			कैडर/विभाग में उसके समकक्ष
ii) विभाग/ मंत्रालय की			वेतन मैट्रिक्स में 4 या 5 वर्षों
गतिविधियों के विशिष्ट क्षेत्रों			की नियमित सेवा प्रदान की हो
जैसे तकनीकी या वैज्ञानिक,			;
यदि कोई हो, में एक वर्ष का			बी)
व्यावसायिक अनुभव, जिसे			कॉलम 7 के तहत निर्धारित
आरआर तैयार करते समय			शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए।
निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।			टिप्पणी:
iii) किसी मान्यता प्राप्त			केंद्र सरकार के उसी या अन्य
विश्वविद्यालय या संस्थान से			संगठन या विभाग में इस
कंप्यूटर एप्लीकेशन में			नियुक्ति से ठीक पहले धारित
डिप्लोमा।			किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर
			प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर
			पर 05 वर्ष से अधिक नहीं होनी
			चाहिए। प्रतिनियुक्ति
			(आईएसटीसी) पर नियुक्ति के
			लिए अधिकतम आयु सीमा
			आवेदन प्राप्त होने की अंतिम
			तिथि को 56 वर्ष से अधिक
			नहीं होनी चाहिए।

यदि क्या	कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
441	€:	किया जाना है
	12	13
1.	निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
	सदस्य	
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	

- 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ सदस्य*
- 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य सदस्य
- उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)

पद का नाम	पद की	वर्गिकरण	वेतन	चयनित या	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
	संख्या		मैद्रिक्स में	गैर चयनित	
			स्तर	पद	
1	2	3	4	5	6
सहायक पुस्तकालय एवं	02*	ग्रुप 'बी'	वेतन	पदोन्नति के	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं
सूचना अधिकारी	(2023)		मैट्रिक्स 7	मामले में	होनी चाहिए। (केंद्र सरकार
	*कार्यभार		का स्तर	चयनित। सीधे	द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों
	पर निर्भर			भर्ती के मामले	के अनुसार सरकारी
	भिन्नता के			में लागू नहीं	कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक
	अधीन			,, ,	की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक	क्या सीधी भर्ती	परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	के लिए निर्धारित	अवधि,	पदोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के
	आयु और	यदि कोई	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	
	शैक्षणिक	हो	द्वारा भर्ती की	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
	योग्यता पदोन्नति		पद्धति और विभिन्न	आमेलन किया जाना है
	के मामले में लागू		तरीकों से भरी जाने	
	होगी		वाली रिक्तियों का	
			प्रतिशत	
7	8	9	10	11
आवश्यक:	नहीं	सीधी भर्ती	पदोन्नति द्वारा और	पदोन्नति: पुस्तकालय एवं
i) किसी मान्यता प्राप्त		के लिए दो	ऐसा न हो पाने की	सूचना सहायक जिन्होने
विश्वविद्यालय/संस्थान से		वर्ष	स्थिति में सीधी	वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में
पुस्तकालय विज्ञान या			भर्ती द्वारा	05 वर्षों की नियमित सेवा
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान				प्रदान की हो।
में स्नातक की डिग्री:				
ii) केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त या				
वैधानिक				
संगठन/पीएसयू/विश्वविद्यालय				
या मान्यता प्राप्त अनुसंधान या				
शैक्षणिक संस्थान के तहत				
पुस्तकालय में तीन साल का				
कार्य अनुभव।				

	कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो वि है?	भर्ती करने के परिस्थितियों में संघ से परामर्श किया ज	त्र लोक सेवा आयं	केन गोग	
	12	13			
1.	निदेशक, नीग्रिम्स	– अध्यक्ष	लागू नहीं		
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/				
	उप सचिव	– सदस्य			
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	सदस्य			

(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)

4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य

6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स --सदस्य सचिव
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
पुस्तकालय एवं सूचना सहायक	02* (2023) *कार्यभार पर निर्भर भिन्नता के अधीन	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स 6 का स्तर	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक	क्या सीधी भर्ती के	परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	लिए निर्धारित	अवधि,	पदोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के
	आयु और शैक्षणिक	यदि कोई	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	मामले में, वे ग्रेड जिनसे
	योग्यता पदोन्नति	हो	द्वारा भर्ती की पद्धति	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
	के मामले में लागू		और विभिन्न तरीकों से	आमेलन किया जाना है
	होगी		भरी जाने वाली	`
	-		रिक्तियों का प्रतिशत	
7	8	9	10	11
आवश्यक:	नहीं	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं
i) किसी मान्यता प्राप्त		के लिए दो		
विश्वविद्यालय/संस्थान से		वर्ष		
पुस्तकालय विज्ञान या				
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान				
में स्नातक की डिग्री:				
ii) केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त				
या वैधानिक				
संगठन/पीएसयू/विश्वविद्यालय				
या मान्यता प्राप्त अनुसंधान				
या शैक्षणिक संस्थान के तहत				
पुस्तकालय में दो साल का				
कार्य अनुभव।				

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो		
क्या है?	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग	
		से परामर्श किया जाना है
12		13
1. निदेशक, नीग्रिम्स	– अध्यक्ष	लागू नहीं
2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/		
उप सचिव	– सदस्य	
3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि,	– सदस्य	

(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)

4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*

5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य - सदस्य

6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु
			में स्तर	चयनित पद	सीमा
1	2	3	4	5	6
भंडार	01* (2023)	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स	चयनित	लागू नहीं
अधिकारी	*कार्यभार पर निर्भर		10 का स्तर		
	भिन्नता के अधीन				

सीधी भर्ती के	क्या सीधी भर्ती	परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
लिए आवश्यक	के लिए	अवधि, यदि	पदोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड
शैक्षणिक और	निर्धारित आयु	कोई हो	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
अन्य योग्यताएं	और शैक्षणिक		द्वारा भर्ती की	आमेलन किया जाना है
	योग्यता		पद्धति और विभिन्न	
	पदोन्नति के		तरीकों से भरी जाने	
	मामले में लागू		वाली रिक्तियों का	
	होगी		प्रतिशत	
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नत	पदोन्नति द्वारा,	पदोन्नति: सहायक भंडार अधिकारी
		उम्मीदवारों के	जिसके विफल होने	जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 7 में
		लिए दो वर्ष	पर प्रतिनियुक्ति	05 वर्षों की नियमित सेवा प्रदान की हो
		•	(अल्पकालिक	और साथ ही किसी मान्यता प्राप्त
			अनुबंध	विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री प्रबंधन
			(आईएसटीसी)	में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा या उसके
			सहित) द्वारा	समकक्ष कोई डिग्री प्राप्त की हो।
			,	,
				प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार / राज्य
				सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त
				संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक
				क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय /
				मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के
				अधिकारी जिन्होने :
				ए)
				,, 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार
				पर अनुरूप पद धारण किया हो :
				अथवा
				2. मूल संवर्ग/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के
				स्तर 08/07 या समकक्ष में नियमित
				आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई
				ग्रेड में 04/05 वर्ष की सेवा प्रदान की हो
				तथा
				बी)
				٦١/

	निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता रखते हों:
	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
	की डिग्री या समकक्ष:
	2. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/
	संस्थान से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर
	डिग्री/डिप्लोमा या समकक्ष: तथा
	टिप्पणी:
	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) की अवधि
	सामान्यतः 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर नियुक्ति
	के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन
	प्राप्त होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष
	से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यवि	दे कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के दौरान किन
क्य	⊤ है?	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग
		से परामर्श किया जाना है
	12	13
1.	निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
	सदस्य	
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4.	संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6.	उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु
			में स्तर	चयनित पद	सीमा
1	2	3	4	5	6
सहायक भंडार	03* (2023)	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स-	चयनित	लागू नहीं
अधिकारी	*कार्यभार पर		7 का स्तर		
	निर्भर भिन्नता के				
	अधीन				

सीधी भर्ती के	क्या सीधी भर्ती के	परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
लिए आवश्यक	लिए निर्धारित	अवधि,	द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन	आमेलन द्वारा भर्ती के मामले
शैक्षणिक और	आयु और शैक्षणिक	यदि कोई	द्वारा भर्ती की पद्धते और विभिन्न	में, वे ग्रेड जिनसे
अन्य योग्यताएं	योग्यता पदोन्नति	हो	तरीकों से भरी जाने वाली	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
	के मामले में लागू	·	रिक्तियों का प्रतिशत	आमेलन किया जाना है
	होगी ``			,
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू	शत प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति: स्टोर कीपर जिन्होने
		नहीं		वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 6 में
				05 वर्षों की नियमित सेवा
				प्रदान की हो।

यवि	दे कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के दौरान किन
क्य	T है?	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग
		से परामर्श किया जाना है
	12	13
1.	निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
	सदस्य	
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4.	संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6.	उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयनित या	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
नाम			स्तर	गैर चयनित	
				पद	
1	2	3	4	5	6
स्टोर	33* (2023)	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स- 6	लागू नहीं	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी
कीपर	*कार्यभार पर निर्भर		का स्तर	• • •	चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी
	भिन्नता के अधीन				निर्देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी
					कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
	होगी		प्रतिशत	
7	8	9	10	11
आवश्यक:	लागू नहीं	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं
i) किसी मान्यता प्राप्त	2,	वालों के		• •
विश्वविद्यालय/संस्थान से		लिए 2		
पुस्तकालय विज्ञान या		साल		
पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में				
स्नातक की डिग्री:				
ii) मान्यता प्राप्त				
विश्वविद्यालय/संस्थान से सामग्री				
प्रबंधन/भंडारण				
प्रबंधन/क्रय/लॉजिस्टिक्स/सार्वज				
निक खरीद में डिप्लोमा/डिग्री				

	हे कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना । है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
	12	13
1.	निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
	सदस्य	
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4.	संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6.	उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की	वर्गिकरण	वेतन	चयनित या	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
	संख्या		मैट्रिक्स में	गैर चयनित	
			स्तर	पद	
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकीविद् सह	01*	ग्रुप 'ए'	वेतन	लागू नहीं	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं
व्याख्याता	(2023)		मैट्रिक्स-		होनी चाहिए। (केंद्र सरकार
	*कार्यभार		10 का		द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों
	पर निर्भर		स्तर		के अनुसार सरकारी
	भिन्नता के				कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक
	अधीन				की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक	क्या सीधी	परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	भर्ती के लिए	अवधि, यदि	पदोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के
	निर्धारित	कोई हो	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	मामले में, वे ग्रेड जिनसे
	आयु और	-	द्वारा भर्ती की पद्धति	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
	शैक्षणिक		और विभिन्न तरीकों	आमेलन किया जाना है
	योग्यता		से भरी जाने वाली	•
	पदोन्नति के		रिक्तियों का प्रतिशत	
	मामले में			
	लागू होगी			
7	8	9	10	11
आवश्यक:	नहीं	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं
1. किसी मान्यता प्राप्त		वालों के		
विश्वविद्यालय या संस्थान से		लिए 2		
न्यूनतम 55% अंकों के साथ		साल		
सांख्यिकी/जैवसांख्यिकी या				
गणित/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर				
डिग्री। साथ ही पाठ्यक्रम में				
सांख्यिकी विषय का एक पेपर				
रहा हो।				
2. किसी मान्यता प्राप्त				
चिकित्सा सह शिक्षण संस्थान में				

2 (दो) वर्ष का		
शिक्षण/अनुसंधान का अनुभव।		
वांछनीय :		
i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान		
से कंप्यूटर		
एप्लीकेशन/डेमोग्राफी में पोस्ट		
ग्रेजुएट डिप्लोमा प्राप्त किया हो।		
ii) सांख्यिकी में पीएच.डी किया		
हो।		

	दे कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना ा है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
	12	13
1.	निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
	सदस्य	
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4.	संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6.	उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की	वर्गिकरण	वेतन	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
	संख्या		मैट्रिक्स में	चयनित पद	
			स्तर		
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ	01*	ग्रुप 'ए'	वेतन	पदोन्नति के	आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी
सांख्यिकी	(2023)		मैट्रिक्स-	मामले में चयन।	चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी
अधिकारी	*कार्यभार		11 का	प्रतिनियुक्ति/सीधी	निर्देशों या आदेशों के अनुसार
	पर निर्भर		स्तर	भर्ती के मामले में	सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष
	भिन्नता के			लागू नहीं।	तक की छूट)
	अधीन				

सीधी भर्ती के लिए	क्या सीधी	परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
आवश्यक शैक्षणिक और	भर्ती के लिए	अवधि,	पदोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड
अन्य योग्यताएं	निर्धारित	यदि कोई	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
	आयु और	हो	द्वारा भर्ती की पद्धति	आमेलन किया जाना है
	शैक्षणिक		और विभिन्न तरीकों	
	योग्यता		से भरी जाने वाली	
	पदोन्नति के		रिक्तियों का प्रतिशत	
	मामले में			
	लागू होगी			
7	8	9	10	11
1. किसी मान्यता प्राप्त	नहीं	सीधी	पदोन्नति द्वारा और	पदोन्नति : संस्थान के सांख्यिकी

	~		0 00 222 20 2
विश्वविद्यालय से	भर्ती	उसके विफल होने की	अधिकारी जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के
सांख्यिकी में स्नातकोत्तर	वालों	स्थिति पर	लेवल 10 में पाँच साल की
डिग्री प्राप्त किया हो।	के लिए	प्रतिनियुक्ति	नियमित सेवा प्रदान की हो।
2. किसी मान्यता प्राप्त	2 साल	(आईएसटीसी) द्वारा।	
संस्थान से कंप्यूटर		उक्त दोनों स्थिति के	प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार/राज्य
एप्लीकेशन में पोस्ट		विफल होने पर	सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त
ग्रेजुएट डिप्लोमा		सीधी भर्ती द्वारा।	संगठनों/वैधानिक निकायों/
(पीजीडीसीए) प्राप्त			सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/
किया हो।			विश्वविद्यालय/मान्यताप्राप्त
3. किसी चिकित्सा			अनुसंधान संस्थान के अधिकारी
संस्थान में विशेषकर			जनुतवान सरवान के जावकारा जिन्होने :
स्वास्थ्य के क्षेत्र से			~
संबंधित सांख्यिकीय			ए) 4 सन्दर्भक्षाम् में नियमित
			1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित
कार्य में 5 (पाँच) वर्ष			आधार पर अनुरूप पद धारण किया
का अनुभव रहा हो।			हो ; या
			2. मूल कैडर/विभाग में पे मैट्रिक्स
			के लेवल 10 या समकक्ष में नियुक्ति
			के बाद प्रदान की गई ग्रेड में पाँच
			साल की नियमित सेवा प्रदान की
			हो तथा बी) कॉलम 7 के तहत
			निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होनी
			चाहिए
			टिप्पणी:
			केंद्र सरकार के उसी या अन्य
			संगठन या विभाग में इस नियुक्ति
			से ठीक पहले धारित किसी अन्य
			पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की
			अवधि आमतौर पर 05 वर्ष से
			अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति
			(आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए
			अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त
			होने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से
			अधिक नहीं होनी चाहिए।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के दौरान किन
क्या है?	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग
	से परामर्श किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
सदस्य	
3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की	वर्गिकरण	वेतन	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
	संख्या		मैट्रिक्स में	चयनित पद	
			स्तर		
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकी अधिकारी	02*	ग्रुप 'ए'	वेतन	पदोन्नति के	आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं
	(2023)		मैट्रिक्स-	मामले में चयन।	होनी चाहिए। (केंद्र सरकार
	*कार्यभार		10 का	प्रतिनियुक्ति/सीधी	द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों
	पर निर्भर		स्तर	भर्ती के मामले में	के अनुसार सरकारी
	भिन्नता के			लागू नहीं।	कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष
	अधीन				तक की छूट)

	T		T	
सीधी भर्ती के लिए आवश्यक	क्या	परिवीक्षा	सीधी भर्ती	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	सीधी	अवधि, यदि	द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे
	भर्ती के	कोई हो	पदोन्नति द्वारा	ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
	लिए		या	आमेलन किया जाना है
	निर्धारित		प्रतिनियुक्ति/आ	
	आयु और		मेलन द्वारा	
	शैक्षणिक		भर्ती की पद्धति	
	योग्यता		और विभिन्न	
	पदोन्नति		तरीकों से भरी	
	के मामले		जाने वाली	
	में लागू		रिक्तियों का	
	होगी		प्रतिशत	
7	8	9	10	11
1. किसी मान्यता प्राप्त	नहीं	सीधी भर्ती व	पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति : संस्थान के सांख्यिकी
विश्वविद्यालय से सांख्यिकी में		पदोन्नत	और उसके	
स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त किया हो।		उम्मीदवारों के	विफल होने की	के लेवल 6 में दस साल की
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान		लिए 2 साल	स्थिति पर	नियमित सेवा प्रदान की हो।
से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट			प्रतिनियुक्ति	प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार/राज्य
ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीसीए)			(आईएसटीसी)	सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों/स्वायत्त
प्राप्त किया हो।			द्वारा। उक्त	संगठनों/वैधानिक
3. विशेषकर किसी चिकित्सा			दोनों स्थिति के	निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के
संस्थान में स्वास्थ्य के क्षेत्र से			विफल होने पर	उपक्रम/विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त
संबंधित सांख्यिकीय कार्य में 2			सीधी भर्ती	अनुसंधान संस्थान के अधिकारी
(दो) वर्ष का अनुभव रहा हो।			द्वारा।	जिन्होने:
				ए)
				1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित
				आधार पर अनुरूप पद धारण किया
				हो :
				अथवा
				2. पे मैट्रिक्स के लेवल या मूल
				कैडर/विभाग के समकक्ष में नियुक्ति
				के बाद ग्रेड 07/06 में क्रमशः 05
				या 10 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान
				की हो और साथ ही बी) कॉलम 7
				के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता

प्राप्त की हो।
टिप्पणी:
केंद्र सरकार के उसी या अन्य संगठन
या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक
पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर
पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि
आमतौर पर 05 वर्ष से अधिक नहीं
होगी।
प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु
सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम
तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं
होनी चाहिए।

	दे कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना ा है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
		किया जाना है
	12	13
1.	निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
	सदस्य	
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4.	संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6.	उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
				पद	
1	2	3	4	5	6
सांख्यिकी	04* (2023)	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्रिक्स-	लागू नहीं।	आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी
सहायक	*कार्यभार पर निर्भर		06 का स्तर		चाहिए। (केंद्र सरकार द्वारा जारी
	भिन्नता के अधीन				निर्देशों या आदेशों के अनुसार
					सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष
					तक की छूट)

				70,000,
सीधी भर्ती के लिए आवश्यक	क्या सीधी	परिवीक्षा अवधि,	सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	भर्ती के लिए	यदि कोई हो	पदोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के
	निर्धारित आयु		प्रतिनियुक्ति/आमेलन	मामले में, वे ग्रेड
	और शैक्षणिक		द्वारा भर्ती की पद्धति	जिनसे
	योग्यता		और विभिन्न तरीकों से	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
	पदोन्नति के		भरी जाने वाली	आमेलन किया जाना
	मामले में लागू		रिक्तियों का प्रतिशत	है
	होगी			

7	8	9	10	11
आवश्यक:	नहीं	सीधी भर्ती	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं
1.किसी मान्यता प्राप्त		वाले		
विश्वविद्यालय से सांख्यिकी		उम्मीदवारों के		
या गणित / अर्थशास्त्र /		लिए 2 साल		
समाजशास्त्र में स्नातक की				
डिग्री प्राप्त की हो। साथ ही				
पाठ्यक्रम में सांख्यिकी विषय				
का एक पेपर रहा हो।				
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान				
से कंप्यूटर एप्लीकेशन में				
डिप्लोमा प्राप्त की हो।				

	त्रे कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी चना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
	12	13
1.	निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2.	मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
	सदस्य	
3.	उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
	(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4.	संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6.	उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
	(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए
			मैद्रिक्स में	चयनित पद	आयु सीमा
			स्तर		
1	2	3	4	5	6
मुख्य आहार	01* (2023)	ग्रुप 'ए'	वेतन	लागू नहीं	लागू नहीं
विशेषज्ञ	*कार्यभार पर निर्भर		मैट्रिक्स का		,, ,
	भिन्नता के अधीन		स्तर 11		

सीधी भर्ती के	क्या सीधी	परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
लिए	भर्ती के लिए	अवधि, यदि	पदोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे
आवश्यक	निर्धारित आयु	कोई हो	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
शैक्षणिक और	और शैक्षणिक		द्वारा भर्ती की पद्धति	आमेलन किया जाना है
अन्य	योग्यता		और विभिन्न तरीकों	
योग्यताएं	पदोन्नति के		से भरी जाने वाली	
	मामले में लागू		रिक्तियों का प्रतिशत	
	होगी			
7	8	9	10	11
लागू	लागू नहीं	लागू नहीं	समग्र विधि द्वारा:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध
नहीं			प्रतिनियुक्ति	आईएसटीसी)/पदोन्नति:

Ι, ς	· · · · · · · · ·
(अल्पकालिक	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश
अनुबंध)/पदोन्नति	/ स्वायत्त संगठन् / वैधानिक निकाय /
द्वारा	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी-
	(<u>ए</u>)
	1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर
	अनुरूप पद धारण करना: या
	2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के
	लेवल-10 या समकक्ष में नियमित आधार पर
	नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल
	की सेवा के साथ और (बी) निम्नलिखित
	शैक्षणिक योग्यता और अनुभव-
	आवश्यक:
	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
	आहार एवं पोषण / गृह विज्ञान/ में एम.एससी/
	क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में
	एम.एससी/ फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड
	डायटेटिक्स में एम.एससी
	2. न्यूनतम 300 बेड युक्त किसी अस्पताल में
	आहार विशेषज्ञ के रूप में 10 वर्ष का
	व्यावहारिक अनुभव।
	वांछित:
	मानव पोषण या चिकित्सीय आहारशास्त्र में
	पीएच.डी।
	नोट:
	ार. केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य
	संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
	धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर
	प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष
	_
	से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति
	(आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए अधिकतम
	आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि
	को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
	यदि 05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ वेतन
	मैट्रिक्स के लेवल -10 में विभागीय उम्मीदवार
	(वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ) को पद पर नियुक्ति के
	लिए चुना जाता है तो इसे पदोन्नति द्वारा भरा
	गया माना जाएगा।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	
क्या है?	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग
	से परामर्श किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव	
– सदस्य	
3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	

- 4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ सदस्य*
- 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य सदस्य
- 6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव (*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)

पद का नाम	द का नाम पद की संख्या		वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	1 2		4	5	6
वरिष्ठ आहार	01* (2023) *कार्यभार पर	ग्रुप 'ए'	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं	लागू नहीं
विशेषज्ञ	निर्भर भिन्नता के अधीन		10 का स्तर		

₩₩ ~ 4 7				11.3/210/11.00 11.0 /
सीधी भर्ती के	क्या सीधी	परिवीक्षा	सीधी भर्ती द्वारा या	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
लिए आवश्यक	भर्ती के लिए	अवधि, यदि	पदोन्नति द्वारा या	आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड
शैक्षणिक और	निर्धारित आयु	कोई हो	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/
अन्य योग्यताएं	और शैक्षणिक		द्वारा भर्ती की पद्धति	आमेलन किया जाना है
	योग्यता		और विभिन्न तरीकों से	
	पदोन्नति के		भरी जाने वाली	
	मामले में लागू		रिक्तियों का प्रतिशत	
_	होगी	_		
7	8	9	10	11
2. लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	समग्र विधि द्वारा	
			प्रतिनियुक्ति	आईएसटीसी)/पदोन्नति:
			(अल्पकालिक	केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित
			अनुबंध)/पदोन्नति	प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय /
			द्वारा	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अधिकारी-
				(ए)
				1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर
				अनुरूप पद धारण करना: या
				2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के
				लेवल-7 या समकक्ष में नियमित आधार पर
				नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल
				की सेवा के साथ और (बी) निम्नलिखित
				शैक्षणिक योग्यता और अनुभव -
				आवश्यक:
				1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
				आहार एवं पोषण / गृह विज्ञान/ में
				एम.एससी/ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड
				डायटेटिक्स में एम.एससी/ फूड सर्विस
				मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स में एम.एससी
				2. न्यूनतम 300 बेड युक्त किसी अस्पताल
				में आहार विशेषज्ञ के रूप में 5 वर्ष का
				व्यावहारिक अनुभव।
				वांछित:
				मानव पोषण या चिकित्सीय आहारशास्त्र में
				पीएच.डी।
	1	<u> </u>	I .	1 2

नोट:
नेंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले
धारित किसी अन्य पूर्व-कैंडर पद पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच
वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति
(आईएसटीसी) पर नियुक्ति के लिए
अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की
अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं
होगी।
यदि 05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ
वेतन मैट्रिक्स के लेवल -7 में विभागीय
उम्मीदवार (आहार विशेषज्ञ) को पद पर
नियुक्ति के लिए चुना जाता है तो इसे
पदोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है?	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव– सदस्य	
3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
आहार विशेषज्ञ	01* (2023) *कार्यभार पर निर्भर	ग्रुप 'बी'	वेतन मैट्टिक्स 7	पदोन्नति पर चयन	लागू नहीं
(अराजरा	भिन्नता के अधीन		का स्तर		

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
3. लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा	पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 6 में पांच साल की नियमित सेवा प्रदान करने वाले वाले संस्थान के सहायक आहार विशेषज्ञ । प्रतिनियुक्ति: केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्र शासित प्रदेश / स्वायत्त संगठन / वैधानिक निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान के अधिकारी: ए. 1. मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण करना: या 2. मूल कैडर/विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल-6 या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई ग्रेड में 5 साल की सेवा और बी. निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव - आवश्यक: 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आहार एवं पोषण / गृह विज्ञान/ में एम.एससी/ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में एम.एससी/ फूड सर्विस मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स में एम.एससी/ कु सर्विस मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स में एम.एससी 3 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। नोट: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य पूर्व-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर पांच वर्ष से अधिक नहीं

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1
	होगी। प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर
	नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा
	आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को
	56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों
क्या है?	में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव	
– सदस्य	
3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन मैट्रिक्स में	चयनित या गैर चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
			स्तर		
1	2	3	4	5	6
सहायक आहार	03* (2023)	ग्रुप 'बी'	वेतन	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र सरकार
विशेषज्ञ	*कार्यभार पर		मैट्रिक्स 6		द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के
	निर्भर भिन्नता		का स्तर		अनुसार सरकारी कर्मचारियों के
	के अधीन				लिए 5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	8	9	10	11
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं
आहार एवं पोषण / गृह विज्ञान/ में				
एम.एससी/ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड				
डायटेटिक्स में एम.एससी/ फूड सर्विस				
मैनेजमेंट एंड डायटेटिक्स में एम.एससी				
अथवा				

		I	T
डायटेटिक्स में पीजी डिप्लोमा के साथ			
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से			
खाद्य और पोषण/ गृह विज्ञान में			
बी.एससी / क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड			
डायटेटिक्स में एम.एससी/ फूड सर्विस			
मैनेजमेंट व डायटेटिक्स में एम.एससी की			
डिग्री प्राप्त करना।			

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	भर्ती करने के दौरान किन परिस्थितियों
क्या है?	में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2. मंत्रालय में संस्थान के कार्य की देखरेख करने वाले निदेशक/उप सचिव –	
सदस्य	
3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि, सदस्य	
(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गिकरण	वेतन	चयनित या गैर	सीधी भर्ती के लिए आयु
			मैट्रिक्स में	चयनित पद	सीमा
			स्तर		
1	2	3	4	5	6
वार्डन/महिला	07* (2023)	ग्रुप 'बी'	वेतन	पदोन्नति के मामले में	30 वर्ष से अधिक नहीं (केंद्र
वार्डन	*कार्यभार पर		मैट्रिक्स 6	चयन। सीधी भर्ती के	सरकार द्वारा जारी निर्देशों
	निर्भर भिन्नता		का स्तर	मामले में लागू नहीं।	या आदेशों के अनुसार
	के अधीन				सरकारी कर्मचारियों के लिए
					5 वर्ष तक की छूट)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता पदोन्नति के मामले	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की पद्धति और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है
7	में लागू होगी 8	9	10	11
/		_		• •
1. किसी मान्यता प्राप्त	लागू नहीं	सीधे भर्ती	पदोन्नति द्वारा, 50%	पदोन्नति : हाउसकीपर पद पर
विश्वविद्यालय से स्नातक की		और पदोन्नत	और ऐसा न हो पाने	वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 5 में

डिग्री प्राप्त की हो।	उम्मीदवारों	की स्थिति में सीधी	छह साल की नियमित सेवा
2 सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त	के लिए दो	भर्ती द्वारा।	प्रदान की हो।
संस्थान/विश्वविद्यालय से होटल	वर्ष		
मैनेजमेंट/हाउसकीपिंग/मटेरियल		सीधी भर्ती द्वारा 50%	
मैनेजमेंट/पब्लिक रिलेशन/एस्टेट			
मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट/डिप्लोमा			
प्राप्त की हो।			

यदि कोई चयन समिति/विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना	
क्या है?	में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
	किया जाना है
12	13
1. निदेशक, नीग्रिम्स – अध्यक्ष	लागू नहीं
2. अवर सचिव (एनई)/अनुभाग अधिकारी (एनई)- सदस्य	
3. उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) शिलांग के प्रतिनिधि- सदस्य	
(अवर सचिव के पद से नीचे का नहीं)	
4. संबंधित विषय के विशेषज्ञ - सदस्य*	
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सहयोजित सदस्य – सदस्य	
6. उप निदेशक (प्रशासन), नीग्रिम्स -सदस्य सचिव	
(*निदेशक, नीग्रिम्स द्वारा नामित किया जाना है)	

प्रो. नलिन मेहता, निदेशक नीग्रिम्स

[विज्ञापन-III/4/असा./555/2023-24]

NORTH EASTERN INDIRA GANDHI REGIONAL INSTITUTE OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES, SHILLONG

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th October, 2023

F. No. NEIGR-E.III/5/2022.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong, to the following Group A & B posts namely:-

Nursing Se	ection				
Sl.No	Name of post				
1	Chief Nursing Officer				
2	Nursing Superintendent				
3	Deputy Nursing Superintendent				
4	Senior Nursing Officer				
5	Nursing Officer				
Central Li	brary Section				
1	Library & Information Officer (erstwhile Librarian)				
2	Assistant Library & Information Officer (erstwhile Assistant Librarian)				
3	Library & Information Assistant (erstwhile Senior Library & Information Assistant)				
Store & Pr	Store & Procurement Section				
1	Stores Officer (erstwhile Store & Procurement Officer)				
2	Assistant Stores Officer				

3	Store Keeper
Statistica	al Section
1	Statistician cum Lecturer
2	Senior Statistical Officer
3	Statistical Officer
4	Statistical Assistant
Dietary	Unit
1	Chief Dietician (erstwhile Chief Dietician & Nutrition Officer),
2	Senior Dietician (erstwhile Deputy Chief Dietician),
3	Dietician
4	Assistant Dietician
Houseke	eping Section
	Warden / Lady Warden

- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong Group A & B posts Recruitment amendment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in Pay Matrix The number of the said post, its classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification** No person,
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule

- 5. Power to Relax Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Ministry of Health & Family Welfare, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.
- **6. Saving** Nothing in these rules shall affect reservation relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen, Persons with Disabilities and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification			Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Chief	01* (2023) *Subject	Group 'A'	Level - 12 of	Selection	Not applicable
Nursing	to variation dependent		Pay Matrix		
Officer	on workload				

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))	Promotion: Nursing Superintendent of the Institute in Level – 11 of the Pay Matrix with 5 (five) years regular service in the grade. Deputation: Officers of the Central Government/ State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies/Public Sector Undertaking/ University / Recognized Research Institution: A. 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre/ department; or 2. with 05 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level 11 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and B. Possessing the following educational qualification: 1. B.Sc. Nursing from an Indian Nursing Council recognized Institute / University. 2. Should be registered with the Indian Nursing Council / State Nursing Council. Not less than 15 years' experience in the profession out of which 5 years should be as Nursing Superintendent or in similar capacity in Nursing Administration. Preference shall be given to those possessing M.Sc. in Nursing Note: The Period of deputation (ISTC) shall ordinarily not exceed 5 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists	Circumstances in which Union Public				
what is its composition	Service Commission to be consulted in				
	making recruitment				
12	13				
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable				
2. Director/Deputy Secretary					
looking after the work of the Institute in the Ministry – Member					
3. Representative of North Eastern Council (NEC),					
Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member					
4. An expert in the relevant subject - Member*					
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*					
6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS-Member Secretary					
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)					

Name	of	the	Number of post	Classification	Level in the Pay	Whet	her se	ection	Age	limit
post					Matrix	post	or	non-	for	direct

				selection post	recruits
1	2	3	4	5	6
Nursing Superintendent	03* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 11 of Pay Matrix	Selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any		which promotion/ deputation/ absorption to
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% By promotion	Promotion : Deputy Nursing Superintendent in Level – 10 in the Pay Matrix with five years' regular service in the

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
2. Director/Deputy Secretary looking after	
the work of the Institute in the Ministry - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC)	
Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS - Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Deputy Nursing	19* (2023) *Subject	Group 'A'	Level – 10 of Pay	Selection	Not
Superintendent	to variation dependent		Matrix		applicable
	on workload				

Educational and	Whether age and	Period of	Method of recruitment	In case of recruitment by
other qualifications educational		probation,	whether by direct	promotion /deputation/
required for direct	qualifications	if any	recruitment or by	absorption, grades from which
recruits	prescribed for		promotion or by	promotion/ deputation/
	direct recruits		deputation/absorption and	absorption to be made
	will apply in case		percentage of vacancies	
	of promotees		to be filled by various	
			methods	
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Two years	100% By promotion	Promotion : Senior Nursing
		for		Officer in Level – 8 of Pay
		Promotees		Matrix with 4 (four) years'
				regular service in the Grade.

If a Departmental Promotion Committee / Sel what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
12		13
1. Director, NEIGRIHMS	- Chairperson	Not applicable
2. Director/Deputy Secretary looking after the we	ork of the	
Institute in the Ministry	- Member	
3. Representative of North Eastern Council (NE	C)	
Shillong (not below the rank of Deputy Secreta	ary) - Member	
4. An expert in the relevant subject	- Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs	- Member*	
6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS	 Member Secretary 	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)		

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Nursing	175* (2023) *Subject	Group 'B'	Level – 8 of Pay	Selection	Not applicable
Officer	to variation		Matrix		
	dependent on				
	workload				

and other qualifications required for direct recruits The state of the applicable and other qualifications required for direct recruits The state of the applicable and other qualifications required for direct recruits The state of the s
required for direct recruits recruits will apply in case of promotees The promotion of the promotion and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion to be made deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion to be made deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion to be made deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion to be made deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion to be made deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion to be made deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion to be made deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion to be made deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion to be made deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion and percentage of vacancies to be filled by various methods The promotion of the promotion and percentage
direct direct recruits will apply in case of promotees 7
recruits will apply in case of vacancies to be filled by various methods 7 8 9 10 11 Not applicable Applicable applicable applicable (Including Short Term Contract (ISTC)) 8 9 10 7 11 Promotion: Nursing Officer in Level Applicable of vacancies to be filled by various methods 9 10 11 Promotion: Nursing Officer in Level Applicable of vacancies to be filled by various methods 11 Promotion: Nursing Officer in Level Applicable of vacancies to be filled by various methods 12 Promotion: Nursing Officer in Level Applicable of vacancies to be filled by various methods 13 Promotion: Nursing Officer in Level Applicable of vacancies to be filled by various methods 14 Promotion: Nursing Officer in Level Applicable of vacancies to be filled by various methods 15 Promotion: Nursing Officer in Level Applicable of vacancies to be filled by various methods 16 Promotion: Nursing Officer in Level Applicable of vacancies to be filled by various methods
case of promotees various methods 7 8 9 10 11 Not applicable Applicable applicable Contract (ISTC)) Not applicable Contract (ISTC) Not applicable Contract (ISTC) Vacancies to be filled by various methods 10 11 Promotion: Nursing Officer in Level - 7 in the Pay Matrix with 5 years regular service in the Grade. Deputation: Officers of the Central Government / State Governments / State Government / State G
promotees various methods 7 8 9 10 11 Not applicable applicable applicable
Not applicable Not applicable By promotion failing applicable Which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)) 8 9 10 11 Promotion: Nursing Officer in Leve — 7 in the Pay Matrix with 5 years regular service in the Grade. Deputation: Officers of the Central Government / State Governments /
Not applicable Not applicable
applicable which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)) applicable which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)) Deputation: Officers of the Central Government / State Governments
(Including Short Term regular service in the Grade. Contract (ISTC)) Deputation: Officers of the Central Government / State Governments
Contract (ISTC)) Deputation: Officers of the Central Government / State Governments
Contract (ISTC)) Deputation: Officers of the Central Government / State Governments
Union Territories / Autonomous
Official Territories / Autonomous
Organizations / Statutory bodies
Public Sector Undertaking / University
/ Recognized Research Institution:
A.
1. Holding analogous post on a regular
basis in the parent cadre / department
or
2. With 05 years' service in the grade
rendered after appointment on a
regular basis in Level 07 of the Pay
Matrix or equivalent in the paren
cadre / department and
B.
Possessing the following educational
qualification:
1. B.Sc. Nursing from an Indian
Nursing Council recognized
Institute / University.
OR
B.Sc. (Post-certificate) or equivalent

	such as B.Sc Nursing (Post Basic)
	from an Indian Nursing Council
	recognized Institute / University
	2. Should be registered as Nurses &
	Midwife with the Indian Nursing
	Council / State Nursing Council
	Note:
	The period of deputation (ISTC) shall
	ordinarily not exceed 5 years. The
	maximum age limit for appointment
	on deputation (ISTC) shall not be
	exceeding 56 years as on the closing
	date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong	
(Not below the rank of Under Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the	Number of	Classification	Level in the	Whether	Age limit for direct recruits
post	post		Pay Matrix	selection	
				post or	
				non-	
				selection	
				post	
1	2	3	4	5	6
Nursing	740* (2023)	Group 'B'	Level – 7	Not	Not exceeding 30 years (Relaxable for
Officer	*Subject to		of Pay	applicable	Government servants upto 5 years in
	variation		Matrix		accordance with the Instructions or
	dependent on				orders issued by the Central
	workload				Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorpt ion and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential:	Not applicable	Two years for	By Direct	Not
B.Sc. (Hons.) Nursing/ B.Sc Nursing from an Indian Nursing Council/State Nursing Council recognized Institute / University. OR B.Sc (Post-Certificate) or equivalent		direct recruits	Recruitment	Applicable

such as B.Sc. Nursing (Post Basic) from	
an Indian Nursing Council / State	
Nursing Council recognized Institute/	
University.	
OR	
Diploma in General Nursing Midwifery	
from an Indian Nursing Council / State	
Nursing Council recognized Institute /	
Board or Council with 2 years'	
experience in minimum 50 bedded	
Hospital after acquiring the educational	
qualification	
2. Should be registered as Nurses &	
Midwife with the Indian Nursing	
Council / State Nursing Council	

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what	Circumstances in which Union Public
is its composition	Service Commission to be consulted in
	making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong	
(not below the rank of Under Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS - Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Library & Information Officer	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 10 of the Pay Matrix	Selection in case of Promotion Not Applicable in case of direct recruitment	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification s prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorp tion and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorptio n to be made
7	8	9	10	11
Essential:	No	Two	Promotion failing	Promotion: Assistant Library &
i. Master's Degree in		years for	which by	Information Officer in Level 7 of
Library Science or		direct	Deputation (ISTC)	Pay Matrix with 05 years' of
Library and Information		recruit	failing both by	regular service in the Grade.
Science of a recognized		and	direct recruitment	Deputation: Officers of the
University / Institute:		promotee		Central Government / State

	T T	
ii. Five years' professional	S	Governments / Union Territories /
experience in a Library		Autonomous Organizations /
under Central/State		Statutory bodies / Public Sector
Government /		Undertaking / University /
Autonomous or Statutory		Recognized Research Institution:
organization/ PSU/		A.
University or Recognized		1. Holding analogous post on
Research or Educational		regular basis in the parent
Institution		cadre/department; or
Desirable:		2. with 05/04 years' regular
i. One year experience of		service in the grade rendered
computerizing Library		after appointment in Level 7/8
activities in a Library under		respectively of Pay Matrix or
Central/State Government /		equivalent in the parent
Autonomous or Statutory		cadre/department; and
organization/		B.
PSU/University or		Possess educational qualification
recognized Research or		prescribed under column 7.
educational Institution		Note:
ii. One year Professional		The period of deputation including
experience in the specific		the period of deputation in another
areas of activities of the		ex-cadre post held immediately
Department / Ministry viz		preceding this appointment in the
technical or scientific, if		same or other organization or
any, to be specified at the		department of the Central
time of framing RRs		Government shall ordinarily not
iii. Diploma in Computer		exceed 05 years. The maximum
Application from a		age limit for appointment on
recognized University or		deputation (ISTC) shall not be
Institute.		exceeding 56 years as on the
		closing date of receipt of
		application.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
2. Director/Deputy Secretary looking after the work	
of the Institute in the Ministry – Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC),	
Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post	Age limit for direct recruits
				or non- selection post	
1	2	3	4	5	6
Assistant Library & Information Officer	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level – 07 of Pay Matrix	Selection in case of Promotion Not Applicable in case of direct recruitment	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University / Institute (ii) Three years' professional experience in a Library under Central / State Government / Autonomous or Statutory Organization / PSU / University or Recognized Research or Educational Institution	No	Two years for Direct Recruit	By Promotion failing which by Direct Recruitment	Remotion: Library & Information Assistant in Level 6 of Pay Matrix with 05 years' of regular service in the Grade.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists	Circumstances in which Union Public
what is its composition	Service Commission to be consulted
	in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong	
(Not below the rank of Under Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Library &	02* (2023)	Group 'B'	Level – 06 of	Not	Not exceeding 30 years (Relaxable
Information	*Subject to		Pay Matrix	applicable	for Government servants upto 5
Assistant	variation				years in accordance with the
	dependent on				Instructions or orders issued by the
	workload				Central Government.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorp tion and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognized University / Institute; (ii) Two years' professional experience in a Library under Central / State Government / Autonomous or Statutory Organization / PSU / University or Recognized Research or Educational Institution	No	Two years for Direct Recruit	By Direct Recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists	Circumstances in which Union Public
what is its composition	Service Commission to be consulted
	in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong	
(Not below the rank of Under Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Stores	01* (2023) *Subject	Group 'A'	Level 10 of Pay	Selection	Not applicable
Officer	to variation dependent		Matrix		
	on workload				

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	, · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees	By Promotion failing which Deputation (Including Short Term Contract (ISTC))	Promotion: Assistant Stores Officer in Level – 7 of Pay Matrix with 05 years' of regular service and possess Post Graduate Degree/Diploma in Materials

M
Management of a recognize
University/Institution or equivalent.
Deputation: Officers of the Centr
Government / State Governments
Union Territories / Autonomo
Organizations / Statutory bodies
Public Sector Undertaking /Universit
Recognized Research Institution:
A.
1. Holding analogous post on a regul
basis in the parent cadre / department
or
2. With 04/05 years' service in the
grade rendered after appointment on
regular basis in Level 08/0
respectively of the Pay Matrix
equivalent in the parent cadre
department and
B
Possessing the following education
qualification:
1. Degree of a recognized Universi
or equivalent:
2. Post Graduate Degree / Diplon
in Materials Management of
recognized University / Institution
or equivalent: and
Note:
The period of deputation (ISTC) sha
ordinarily not exceed 5 years. The
maximum age limit for appointment of
deputation (ISTC) shall not 1
exceeding 56 years as on the closing
date of receipt of application
due of receipt of application

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
2. Director/Deputy Secretary	
looking after the work of the Institute in the Ministry – Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC),	
Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS-Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant	03* (2023) *Subject to	Group 'B'	Level – 7 of Pay	Selection	Not applicable
Stores	variation dependent on		Matrix		
Officer	workload				

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	100% By promotion	Promotion : Store Keeper in Level – 6 of Pay Matrix with 5 (five) years regular service in the grade.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists	Circumstances in which Union Public
what is its composition	Service Commission to be consulted
	in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong	
(Not below the rank of Under Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Store	33* (2023)	Group 'B'	Level – 6 of	Not applicable	Not exceeding 30 years
Keeper	*Subject to variation dependent on workload		Pay Matrix		(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: 1. Bachelor's Degree from a recognized University or equivalent 2. Diploma / Degree in Materials Management / Warehousing Management / Purchasing /	Not applicable	2 (two) years for direct recruits	By Direct Recruitment	Not Applicable

Logistics / Public Procurement		
from recognized University /		
Institute		

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong	
(not below the rank of Under Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post	Age limit for direct recruits
				or non-	
				selection post	
1	2	3	4	5	6
Statistician	01* (2023)	Group 'A'	Level – 10 of	Not	Not exceeding 35 years
Cum	*Subject to		Pay Matrix	Applicable	(Relaxable for Government
Lecturer	variation				servants upto 5 years in
	dependent on				accordance with the
	workload				Instructions or orders issued by
					the Central Government from
					time to time)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification s prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitmen t by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: 1. Post Graduate Degree in Statistics / Biostatistics or in Mathematics / Economics with Statistics as a paper with minimum 55% from a recognized University or Institution	No	2 years for direct recruits	Direct Recruitment	Not applicable
2. Teaching/research experience of 2 (two) years in a recognized Medical cum teaching Institute				
Desirable:				
i. Post Graduate Diploma in				

Computer Application Demography from recognized Institution	a a		
ii. Ph.D in Statistics			

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what	Circumstances in which Union Public
is its composition	Service Commission to be consulted in
	making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
2. Director/Deputy Secretary looking after the work	
of the Institute in the Ministry – Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC),	
Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS - Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the	Number of post	Classification	Level in the	Whether	Age limit for direct
post			Pay Matrix	selection post or	recruits
				non-selection	
				post	
1	2	3	4	5	6
Senior	01* (2023)	Group 'A'	Level – 11 of	Selection in case	Not exceeding 40 years
Statistical	*Subject to		Pay Matrix	of promotion	(Relaxable for
Officer	variation			Not applicable in	Government servants upto
	dependent on			case of	5 years in accordance with
	workload			deputation /	the Instructions or orders
				direct recruitment	issued by the Central Govt.
					from time to time)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
1. Post Graduate degree in Statistics from a recognized University 2. Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) from a recognized Institution. 3. 5 (five) years' experience in Statistical work related to the field of health	No	2 (two) years for direct recruit	Promotion failing which by Deputation (ISTC) failing both by direct recruitment	Promotion: Statistical Officer of the Institute in Level 10 of Pay Matrix with five years of regular service in the grade. Deputation: Officers of the Central Govt./State Government/ Union Territories / Autonomous Organizations / Statutory Bodies / Public Sector Undertaking / University / Recognized Research Institution: A. 1. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or 2. With five years' regular

preferably in a	service in the grade rendered
Medical Institute	after appointment in Level 10
	of Pay Matrix or equivalent
	in the parent
	cadre/department and
	<u> </u>
	B.
	Possess educational qualification
	prescribed under column 7
	Note:
	The period of deputation
	including the period of deputation
	in another ex-cadre post held
	*
	immediately preceding this
	appointment in the same or other
	organization or department of the
	Central Government shall
	ordinarily not exceed 05 years.
	The maximum age limit for
	appointment on deputation (ISTC)
	shall not be exceeding 56 years on
	• •
	the closing date of receipt of
	application.

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
2. Director/Deputy Secretary looking after	
the work of the Institute in the Ministry - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC)	
Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS - Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-	Age limit for direct recruits
the post			1 dy Width	selection post	recruits
1	2	3	4	5	6
Statistical Officer	02* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'A'	Level – 10 of Pay Matrix	Selection in case of promotion Not applicable in case of deputation / direct recruitment	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government from time to time)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
1. Post Graduate degree in Statistics from a recognized University. 2. Post Graduate Diploma in Computer Application (PGDCA) from a recognized Institution. 3. 2 (two) years' experience in statistical work related to the field of health preferably in a Medical Institute	No	2 (two years for direct recruit & Promotees	Promotion failing which by Deputation (ISTC) failing both by direct recruitment	Assistant of the Institute in Level 6 of Pay Matrix with 10 (ten) years of regular service in the grade. Deputation: Officers of the Central/State Governments/ Union Territories/ Autonomous Organizations / Statutory Bodies / Public Sector Undertaking / University / Recognized Research Institution A. 1. Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre / department: or 2. With 05/10 years' regular service in the grade rendered after appointment in Level 07/06 of Pay Matrix respectively, or equivalent in the parent cadre / department and B. Possess educational qualification prescribed under column 7. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization or department shall ordinarily not exceed 05 years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists	Circumstances in which Union Public
what is its composition	Service Commission to be consulted
	in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
2. Director/Deputy Secretary looking after the work of the	

ſ	Institute in the Ministry - Member
ŀ	3. Representative of North Eastern Council (NEC)
	Shillong (not below the rank of Deputy Secretary) - Member
4	4. An expert in the relevant subject - Member*
	5. A co-opted member from SCs/STs - Member*
(6. Deputy Director (Admn) NEIGRIHMS - Member Secretary
1	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	selection post	6
Statistical Assistant	04* (2023) *Subject to variation dependent on workload		Level – 06 of Pay Matrix	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: 1. Bachelor's Degree in Statistics or in Mathematics / Economics / Sociology with Statistics as one of the papers from a recognized University	No	Two years for Direct Recruit	By Direct Recruitment	Not applicable
Diploma in Computer Application from a recognized Institute				

If a Departmental Promotion Committee / Selection Committee exists	Circumstances in which Union Public
what is its composition	Service Commission to be consulted
	in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Shillong	
(Not below the rank of Under Secretary) - Member	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A Co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	
1	2	3	4	5	6
Chief	01* (2023) *Subject	Group 'A'	Level 11 of the	Not applicable	Not applicable
Dietician	to variation dependent		Pay Matrix		

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion / deputation/ absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
Not	Not applicable	Not	By Composite	Deputation (Including Short Term
applicable		applicable	Method: Deputation (including short term contract)/ Promotion	Contract (ISTC)) / Promotion: Officers of the Central Government/ State Government / Union Territories/ Autonomous Organizations/ Statutory bodies / Public Sector Undertaking (a) 1. holding analogous post on a regular basis in the parent cadre /department: or 2. with 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-10 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and (b) Possess the following educational qualification and experience Essential: 1. M.Sc. in food & Nutrition/ Home Science/ M.Sc. Clinical Nutrition & Dietetics / M.Sc.Food Service Management & Dietetics from a recognized University 2. 10 years of practical experience as Dietician in a minimum 300 bedded hospital. Desirable: Ph.D in Human Nutrition or Therapeutic Dietetics Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application. If the Departmental Candidate (Senior Dietician) in Level-10 of Pay Matrix

	with 05 years' of regular service is
	selected for appointment to the post; it
	shall be treated as having been filled
	by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairperson 2. Director/Deputy Secretary - Member looking after the work of the Institute in the Ministry 3. Representative of North Eastern Council (NEC), - Member Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary) 4. An expert in the relevant subject - Member* 5. A co-opted member from SCs/STs - Member* 6. Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS-Member Secretary (*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	Not applicable

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Senior Dietician	01* (2023) *Subject to variation	Group 'A'	Level 10 of the Pay Matrix	Not applicable	Not applicable
	dependent on workload				

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Composite Method: Deputation (including short term contract)/ Promotion	Deputation (Including Short Term Contract (ISTC)) / Promotion: Officers of the Central Government / State Government / Union Territories / Autonomous Organizations/Statutory bodies /Public Sector Undertaking (a) 1. holding analogous post on a regular basis in the parent cadre /department: or 2. with 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-7 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre /department and (b) Possess the following educational qualification and experience Essential: 1. M.Sc. in Food & Nutrition/

			Home Science/ M.Sc.
			Clinical Nutrition & Dietetics
			/ M.Sc. Food Service
			Management & Dietetics
			from a recognized University
			•
			experience as Dietician in a
			minimum 300 bedded
			hospital.
			Desirable:
			Ph.D in Human Nutrition or
			Therapeutic Dietetics
			Note:
			Period of deputation including
			period of deputation in another
			ex-cadre post held immediately
			preceding this appointment in the
			same or some other organization /
			Department of the Central
			Government shall ordinarily not
			exceed five years. The maximum
			age limit for appointment on
			deputation (ISTC) shall not be
			exceeding 56 years as on the
			closing date of receipt of
			application.
			If the Departmental Candidate
			(Dietician) in Level-7 of Pay
			Matrix with 05 years' of regular
			service is selected for
			appointment to the post; it shall
			be treated as having been filled
			by promotion.
L	L	L	√ 1

If a	Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
	12	13
1.	Director, NEIGRIHMS - Chairperson	Not applicable
2.	Director/Deputy Secretary looking after - Member	
	the work of the Institute in the Ministry	
3.	Representative of North Eastern Council (NEC), Member	
	Shillong (Not below the rank of Deputy Secretary)	
4.	An expert in the relevant subject - Member*	
5.	A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6.	Deputy Director(Admn), NEIGRIHMS-Member Secretary	
	(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay	Whether selection post or non-selection	Age limit for direct recruits
			Matrix	post	
1	2	3	4	5	6
Dietician	01* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 7 of Pay Matrix	Selection in case of promotion	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absor ption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8 Not	9 Not	10	Promotion: From Assistant Distinion of
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By Promotion failing which by Deputation (ISTC)	Promotion: From Assistant Dietician of the Institute with five years' regular service in Level – 6 of Pay Matrix Deputation: Officers of the Central Government / State Government / Union Territories / Autonomous Organizations/Statutory bodies / Public Sector Undertaking/University/Recognized Research Institution: A. 1. Holding analogous post on a regular basis in the parent cadre / department: or 2. with 5 years' service in the grade rendered after appointment on a regular basis in Level-6 of the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre / department and B. Possess the following educational qualification and experience Essential: 1. M.Sc. in Food & Nutrition/ Home Science/ M.Sc. Clinical Nutrition & Dietetics / M.Sc. Food Service Management & Dietetics from a recognized University 2. 3 Years of practical experience as Dietician in a hospital. Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization / Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age limit for appointment on deputation (ISTC) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	
12	13	
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable	
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member		
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member		

Shillong (Not below the rank of Under Secretary)

4. An expert in the relevant subject - Member*

5. A co-opted member from SCs/STs - Member*

6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary

(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Assistant	03* (2023)	Group 'B'	Level 6 of	Not applicable	Not exceeding 30 years
Dietician	*Subject to variation dependent on workload		Pay Matrix		(Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: M.Sc. in Food & Nutrition/ Home Science/ M.Sc. Clinical Nutrition & Dietetics / M.Sc. Food Service Management & Dietetics from a recognized University OR B.Sc in Food & Nutrition / Home Science / M.Sc Clinical Nutrition & Dietetics/ M.Sc. Food Service Management & Dietetics with PG.Diploma in dietetics from a recognized University	Not applicable	Two years	By Direct Recruitment	Not Applicable

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member	
Shillong (not below the rank of Under Secretary)	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Administration), NEIGRIHMS-Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
Warden / Lady Warden	07* (2023) *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 06 of Pay Matrix	Selection in case of promotion Not applicable in case of direct recruitment	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the Instructions or orders issued by the Central Government)

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion /deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made
7	8	9	10	11
Essential: 1. Bachelor's Degree from a recognized University 2. Certificate / Diploma in Hotel Management / Housekeeping / Material Management / Public Relation / Estate Management from a government recognized Institute / University	Not applicable	Two years for direct recruit and promotees	50% By promotion failing which by direct recruitment 50% By Direct Recruitment	Promotion: Housekeeper in Level – 5 of Pay Matrix with six years' of regular service in the Grade

If a Departmental Promotion Committee/Selection Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted
what is its composition	in making recruitment
12	13
1. Director, NEIGRIHMS - Chairman	Not applicable
2. Under Secretary (NE)/Section Officer (NE) - Member	
3. Representative of North Eastern Council (NEC), Member	
Shillong (not below the rank of Under Secretary)	
4. An expert in the relevant subject - Member*	
5. A co-opted member from SCs/STs - Member*	
6. Deputy Director(Administration) NEIGRIHMS-Member Secretary	
(*to be nominated by the Director, NEIGRIHMS)	

Prof. NALIN MEHTA, Director, NEIGRIHMS
[ADVT.-III/4/Exty./555/2023-24]